



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

04 अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक 11.04.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना मछरेहटा द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त 02 अपराधियों एवम् थाना सिधौली द्वारा अवैध शराब तस्करी के अपराधों में संलिप्त 02 अपराधियों कुल 04 अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है। अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है-

कार्यवाही विवरण थाना मछरेहटा

थाना मछरेहटा पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों में लिप्त 02 अभियुक्तगण 1.मोहम्मद रियाज पुत्र इलियास निवासी ग्राम निन्दूरा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी 2.हलीम पुत्र अतीक निवासी ग्राम मितौरा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना मछरेहटा पर मु0अ0सं0 153/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। जिनके विरूद्ध महिला अपराध सम्बन्धी अभियोग पंजीकृत है। दोनो अभियुक्तगण वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 153/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मछरेहटा सीतापुर।

अभियुक्तगण का नाम/पता:

1. मोहम्मद रियाज पुत्र इलियास निवासी ग्राम निन्दूरा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी

2. हलीम पुत्र अतीक निवासी ग्राम मितौरा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त रियाज पुत्र इलियास निवासी ग्राम निन्दूरा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी-

1. मु0अ0सं0 188/20 धारा 376डी/363/366 भा.द.वि थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 153/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मछरेहटा सीतापुर।

अभियुक्त हलीम पुत्र अतीक निवासी ग्राम मितौरा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर-

1. मु0अ0सं0 188/20 धारा 376डी/363/366 भा.द.वि थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 153/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मछरेहटा सीतापुर।

कार्यवाही विवरण थाना सिधौली

थाना सिधौली पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण तथा बिक्री जैसे अपराधों में लिप्त 02 अभियुक्तगण 1.कल्लू पुत्र हुलासी निवासी ग्राम बालजती थाना सिधौली जनपद सीतापुर 2.छोटेलाल पुत्र शंकर निवासी ग्राम बालजती थाना सिधौली जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना सिधौली पर मु0अ0सं0 147/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के शराब तस्कर है। जिनके विरुद्ध अवैध शराब निर्माण व बिक्री के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 147/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधौली सीतापुर।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. कल्लू पुत्र हुलासी निवासी ग्राम बालजती थाना सिधौली जनपद सीतापुर।
2. छोटेलाल पुत्र शंकर निवासी ग्राम बालजती थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

आपराधिक इतिहास

कल्लू पुत्र हुलासी निवासी ग्राम बालजती थाना सिधौली जनपद सीतापुर

1. मु0अ0सं0 343/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना सिधौली सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 455/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधौली सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 147/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधौली सीतापुर।

छोटेलाल पुत्र शंकर निवासी ग्राम बालजती थाना सिधौली जनपद सीतापुर

1. मु0अ0सं0 312/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधौली सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 343/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना सिधौली सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 147/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधौली सीतापुर।